न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/96/2022

प्रखर शाह पुत्र अशोक कुमार शाह निवासी बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज.)
.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार डीग।
.............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 30.12.2022**

अपीलार्थी प्रखर शाह पुत्र अशोक कुमार शाह निवासी बागीदौरा जिला बांसबाडा (राज.) की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना तहसीलदार डीग के खिलाफ अपील प्राप्त हुई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/2022/939 दिनांक 15.12.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार डीग से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराई है। सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है। इस बाबत तहसीलदार डीग से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना, अपीलार्थी के कथनों की पुष्टी करता है। अस्तु अपील स्वीकार की जाती है लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार डीग को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई चाही गई वांछित सूचनायें अन्दर 15 दिवस में उपलब्ध करावें। निर्णय प्रति अपीलार्थी को प्रेषित हो, निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार डीग को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर